प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
महराजगंज, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/Visit Report/2023-24/ 9757

दिनांकः 15.02.2024

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद महराजगंज की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आपके जनपद महराजगंज की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 29 जनवरी से 02 फरवरी, 2024 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

13/3/24

(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/2023-24/

तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, महराजगंज, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद– महराजगंज, उ0प्र0।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, जनपद महराजगंज, को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही की प्रगति–रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 अबु तल्हा)
उपमहाप्रबन्धक, डी.एच.एस.

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
महराजगंज, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/Visit Report/2023-24/ दिनांकः 15 .02.2024

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद महराजगंज की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आपके जनपद महराजगंज की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 29 जनवरी से 02 फरवरी, 2024 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/2023-24/ 9757-7 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, महराजगंज, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद– महराजगंज, उ0प्र0।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, जनपद महराजगंज, को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही की प्रगति–रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 अबु तल्हा)
उपमहाप्रबन्धक, डी.एच.एस.

भ्रमण आख्या– जनपद महराजगंज, 29 जनवरी से 02 फरवरी, 2024

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री आर.बी.क्षेत्रीय – मैनेजर फाइनेंस
2. श्री सौरभ तिवारी – तकनीकि परामर्शदाता
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव – कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद महराजगंज का दिनांक 29 जनवरी से 02 फरवरी तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है–

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी–आर0सी0एच0, जनपद बदायूं के साथ बैठक में निम्नवत् बिन्दु प्रकाश में आये –

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद महाराजगंज में कुल 14 वाहन सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष में किये गये अनुबंध के क्रम में चलाये जाते पाये गये किन्तु उक्त वाहनों की उपलब्धता होने के उपरांत भी मानकानुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नही किये जाते पायें गयें। साथ ही माह फरवरी 2024 तक वाहनों का अनुबंध पूर्ण नही हुआ है।	अवगत कराया गया कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नियमित रूप से सम्पदित किया जाना एवं आख्याएं जल्द अपलोड कराने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सुझाव दिया गया साथ ही वाहनों के अनुबंध कराते हुये अनुबंध की कॉपी राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	ए0सी0एम0ओ0–आर0सी0एच0/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाई
2. जनपद बदायूं में कुल 14 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन उपलब्ध हाने के उपरांत माह अप्रैल से फरवरी 2024 तक एक भी आख्या/चेकलिस्ट http://www.upnrhm.gov.in एवं RMNCHA के पोर्टल पर अपलोड नही है, समस्त अधिकारी/कर्मचारी की भ्रमण आख्या पोर्टल पर अपलोड कराने की आवश्यकता है।		जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की समस्त आख्या/ चेकलिस्ट www.upnrhm.gov.in एवं RMNCHA पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के परिपेक्ष राज्य में असमंजस्य की स्थिति पायी गयी। जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट RMNCHA पोर्टल पर अपलोड की जाती है। www.upnrhm.gov.in पोर्टल पर District Upload Facility के माध्यम से आख्या अपलोड करने की जानकारी नही होना बताया गया।	उक्त सुझाव के क्रम में राज्य स्तर से समस्त जनपदों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट RMNCHA पोर्टल पर एवं भ्रमण आख्या http://www.upnrhm.gov.in के पोर्टल पर अपलोड कराने का सुझाव दिया गया।	ए0सी0एम0ओ0–आर0सी0एच0/जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाई
4. आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय पीयर एजुकेटर प्रशिक्षण लम्बित होने के कारण चयनित पीयर एजुकेटर कार्य नही कर रहे है। 5. जनपद में पीयर एजुकेटर के प्रशिक्षण हेतु पीयर एजुकेटर किट का मुद्रण अभी तक नही कराया गया है।	नियमानुसार पियर एजुकेटर किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये प्रशिक्षण कराने का सुझाव दिया गया।	आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर, किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर
6. आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विपस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में विपस एवं जुनियर विपस रजिस्टरों का मुद्रण जनपद स्तर से किया गया मुद्रित कराये गये रजिस्टर की गुणवत्ता बेहद खराब पायी गयी।	नियमानुसार मुद्रण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	ए0सी0एम0ओ0–आर0सी0एच0/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाई

7. जनपद में डाटा आडिट की आवश्यकता है। भौतिक आकडों एवं पोर्टल पर अपलोड आकडों में भिन्नता पायी गयी।	ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए। भिन्नता की भी जॉच सुधार करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का सुझाव दिया गया।	जनपदीय लेखा प्रबन्धक द्वारा समस्त ब्लाक लेखा प्रबन्धकों को उक्त हेतु सुझाव दिया गया ताकि भिन्नता न आने पायें।
8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद महाराजगंज में जिला स्वास्थ्य समिति की 10 के सापेक्ष 09 **कार्यकारी निकाय** एवं 10 के सापेक्ष 09 **शासी निकाय** की बैठको के कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड की गयी है।	ए0सी0एम0ओ0– आर0सी0एच0 एवं जिला कार्यकम प्रबंधन इकाई द्वारा नियमित बैठक कर पोर्टल पर अपलोड कराने का आश्वासन दिया गया।	जिला कार्यकम प्रबंधक
9. वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद महाराजगंज में जिला आडिट कमिटी एवं DISHA के कार्यवृत्त पोर्टल पर **शून्य** अपलोड किये गये है।		
10. दिनांक 01.02.2024 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया किन्तु रजिस्टर में सही टिक का निशान नही लगाया गया।	अध्यापक को दिशा–निर्देशानुसार कृमि मुक्ति दिवस एवं मापअप दिवस में रजिस्टर पर Single & Double Tick अंकित करने के बारे मे बताया गया। समस्त अभिलेखों को अद्यतन किये जाने एवं कम्प्यूटर/प्रिंटर कय हेतु अग्रेतर कार्यवाही का सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी/ आर0के0एस0के0 काआर्डिनेटर/ प्रभारी अध्यापक/ ए0एफ0एच0सी0 परामर्शदाता
11. जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्यापको के अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यकम (WIFS) के अन्तर्गत पिंक एवं ब्लू आयरन की गोलियां उपलब्ध पायी गयी किन्तु अभिलेख/रिपोर्ट को अद्यतन करने की आवश्यकता है।		
12. सम्पूर्ण जनपद में किसी भी अर्श परामर्शदाता के पास कम्प्यूटर/प्रिंटर उपलब्ध नही पाया गया।		
13. किशोर स्वास्थ्य कार्यकम के अन्तर्गत परामर्शदाताओं द्वारा संचालित साथिया ऍप में अपलोड़ करने में समस्या आती पायी गयी साथ ही प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक Primery Key generate होने की आवश्यकता है।	एजेंसी से सम्पर्क कर उक्त के निदान हेतु अग्रेतर कार्यवाही का सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी/ आर0के0एस0के0 काआर्डिनेटर
14. कई 102 एम्बुलेन्स व 108 एम्बुलेन्स में दवा बी0पी0 मापक यंत्र उपलब्ध नहीं है। जनपद में संचालित समस्त 108/102 एम्बुलेन्स में ए0सी0 खराब था। वाहनों में उपस्थित इ.एम.टी. को रक्तचाप नापना नही आता पाया गया।	चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा नियमित रुप से एम्बुलेन्स के रखरखाव, औषधियों की उपलब्धता एवं लागबुक की जॉच करायी जाये। टीम द्वारा उक्त के कम में जी0वी0के0 ई0एम0आर0आई0 प्रबंधक से तत्काल जांच करने का सुझाव दिया गया। तैनात कर्मियों का पुनः अभिमुखीकरण किया जाना आवश्यक है।	महाप्रबंधक ई0एम0टी0/चिकित्सा अधीक्षक/ ई0एम0ई

जिला संयुक्त चिकित्सालय –महराजगंज

डा0 ए0डी0 भार्गव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से भ्रमण दल की हुई वार्ता कर जिला हास्पीटल मैनेजर के साथ जिला संयुक्त चिकित्सालय का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय भ्रमण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी।
2. काण्डोम बाक्स नवीन निर्देश के अनुसार बनाये गये थे।

3. लैब में मरीजों का ब्लड निकालते समय ग्लब्स का उपयोग नही किया जा रहा था।
4. मेडिकल पिक इन्जरी के विषय में लैब में उपस्थित कर्मियों को पता नही नही था।
5. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। जबकि कलर कोटेड डस्टबिन उपलब्ध थे।
6. शिकायत पेटिका उपलब्ध था किन्तु अभिलेख उपलब्ध नही पाये गये।
7. **लेबर रूम–**
    a. गेट पर शू रैक एवं शू कवर उपलब्ध नही था।
    b. लेबर रूम की साफ–सफाई संतोष जनक पायी गयी।
    c. बायो मेडिकल वेस्ट के अनुसार सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था।
    d. केसशीट पूर्ण नही भरी जा रही थी।
    e. पार्टोग्राफ भरा जा रहा था।
    f. आक्सीजन सिलेण्डर की लॉग बुक को पूर्ण नही किया जा रहा था।
    g. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किया जा रहा था।
    h. कैलीसपैड उपलब्ध नही था।
    i. फैमिली प्लानिंग से सम्बन्धित सामग्री कालातीत पायी गयी।

8. **औषधि वितरण कक्ष–**
    a. औषधियों के डिमाण्ड डी.वी.डी.एस.एम. पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था।
    b. स्टोर में रखी हुई औषधियों पर लेबलिंग नही की गयी थी। उपलब्ध औषधियां आदि की सूची उपलब्ध नही पायी गयी।
9. वेटिंग एरिया में आडीओ विजुअल आई.ई.सी. हेतु प्रबंधन किया जाना आवश्यक है।
10. इजेक्शन/इमेंरजेंसी कक्ष में किये जाने वाले स्टेलिजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किया जा रहा था।
11. हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
12. ओ0पी0डी0 रजिस्टर में मरीजों के बिमारी एवं प्रदान की जाने वाली औषधियों का विवरण अंकित नही किया जा रहा था।
13. जेई/एईएस वार्ड के स्टाक रजिस्टर में औषधियों का बैच नं एवं कालातीत समय अंकित नही किया जा रहा था।
14. हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
15. बी.एस.टी. को पूर्ण रुप से भरा नही जा रहा था।
16. परिवार नियोजन काउन्सलिंग –
    a. रिकार्ड रुप से नही भरे नही जा रहे थे।
    b. 02 दिसम्बर के बाद लगायी गयी अन्तरा का दर्ज नही किया गया था।
    c. पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लाभार्थियो के फालोअप का कोई रिकार्ड नही पाया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधीक्षक एवं वेटिंग एरिया में एल.ई.डी. नही लगे हुये थे।
2. ओ.पी.डी. रजिस्टर में लिखे हुये उपचार एवं औषधियों के विवरण पढनीय नही था।
3. बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रिकेशन नही किया जा रहा था।
4. सभी प्रकार के कूडे को एक ही बाक्स में डाला जा रहा था।
5. प्रशिक्षण के रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।
6. शिकायत पेटिका में ताला नही लगा था एवं रिकार्ड पूर्ण नही पाया गया।
7. हब कटर का उपयोग सिरिंज के उपयोग के बाद नही किया जा रहा था।

8. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
9. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
10. औषधियों हेतु इन्डेंट हेतु डीवीडीएमएस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा था।
11. प्रसव कक्ष के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नही थी एवं स्टाफ के द्वारा कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
12. स्टाफ नर्स को नियर एक्सपायरी औषधियों की जानकारी नही थी।
13. औषधियों एवं इजेंक्शन को मिक्स एवं अव्यवस्थित रुप में रखा गया था।
14. कैलिसपैड उपलब्ध नही थे।
15. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
16. आक्सीजन सिलेण्डर से सम्बन्धित रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
17. प्रसव कक्ष में ड्यूटी रोस्टर को फालो नही किया जा रहा था।
18. भ्रमण के दौरान उपस्थित स्टाफ नर्स के द्वारा बताया गया कि केसशीट स्टाफ नर्सों के द्वारा अलग अलग रखा जाता है।
19. समस्त प्रसव की केसशीट उपलब्ध नही पायी गयी।
20. केसशीट में जानकारी को पूर्ण रुप से अंकित नही किया जा रहा था।
21. के0एम0सी0 रुम में माताओं/शिशुओं के साथ तिमारदारों की भीड़ पायी गयी। जनपद में कहीं भी के0एम0सी0 चेयर नही पायी गयी।

जनपद स्तरीय कोल्ड चेन प्वांइट, सदर

1. 16 आई.एल.आर. एवं 08 डी फ्रिजर की उपलब्धता थी।
2. ई–वीन पोर्टल के माध्यम से वैकसीन का स्टाक मैनेज किया जा रहा था।
3. कोल्ड चेन प्वांइट पर उपलब्ध वैकसीन एवं ई–वीन के स्टाफ समान पाये गये।
4. मैनुअल स्टाक का रिकार्ड दिनांक 09 जनवरी 2024 के बाद भरा नही गया था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुघली एवं सिसवा

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की साफ सफाई व्यवस्था समुचित नही थी।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधीक्षक एवं वेटिंग एरिया में एल.ई.डी. नही लगे हुये थे।
3. टेलीकन्ल्टेंशन हेतु प्रदत्त किये गये कम्प्यूटर की उपलब्धता इकाई पर नही पायी गयी।
4. इकाई के बाथरुम में लगे टैब पूर्ण रुप से क्रियाशील नही थी।
5. लैब में किये जाने वाले परीक्षण को इकाई पर प्रदर्शित नही किया गया था।
6. प्रिन्टेड ओ0पी0डी0 रजिस्टर इकाई पर उपलब्ध नही थे, जिसके कारण वांछित सूचना दर्ज नही हो रही थी।
7. ओ.पी.डी. रजिस्टर में लिखे हुये उपचार एवं औषधियों के विवरण पढनीय नही था।
8. बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रिकेशन नही किया जा रहा था।
9. सभी प्रकार के कूडे को एक ही बाक्स में डाला जा रहा था।
10. डाटा वेलिडेशन की बैठक प्रत्येक माह की जा रही थी।
11. इकाई पर लगे हुये फायर एग्जूक्शन पर रिफिलिंग दिनांक नही डाला गया था।
12. शिकायत पेटिका में ताला नही लगा था एवं रिकार्ड पूर्ण नही पाया गया।
13. हब कटर का उपयोग सिरिंज के उपयोग के बाद नही किया जा रहा था।
14. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।

15. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
16. औषधियों हेतु इन्डेंट हेतु डीवीडीएमएस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा था।
17. प्रसव कक्ष के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नही थी एवं स्टाफ के द्वारा कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
18. स्टाफ नर्स को नियर एक्सपायरी औषधियों की जानकारी नही थी।
19. प्रसव रजिस्टर में कई लाभार्थियों के एम0सी0टी0एस0 सं0 का अंकन नही था। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उचित जानकारी नहीं थी। एच0आर0पी0 रजिस्टर व लाभार्थियों के एम0सी0टी0एस0 सं0 का अंकन करने एवं प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने का सुझाव दिया गया।
20. औषधियों एवं इजेंक्शन को मिक्स एवं अव्यवस्थित रुप में रखा गया था।
21. कैलिसपैड उपलब्ध नही थे।
22. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
23. आक्सीजन सिलेण्डर से सम्बन्धित रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
24. प्रसव कक्ष में ड्यूटी रोस्टर को फालो नही किया जा रहा था।
25. समस्त प्रसव की केसशीट उपलब्ध नही पायी गयी।
26. केसशीट में जानकारी को पूर्ण रुप से अंकित नही किया जा रहा था।

एन0डी0डी0 कार्यक्रम, जवाहर नवोदय विद्यालय

1. जवाहर नवोदय विद्यालय में एन0डी0डी0 कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा किया गया।
2. 225 बच्चों को एल्बेंडाजोल की औषधियां खिलायी गयी।
3. कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डीसीपीएम, डी.ई.आई.सी. मैनेजर, बीसीपीएम एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
4. दिनांक 01.02.2024 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया किन्तु रजिस्टर में सही टिक का निशान नही लगाया जाता पाया गया।
5. जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्यापको के अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम (WIFS) के अन्तर्गत पिंक एवं ब्लू आयरन की गोलियां उपलब्ध पायी गयी किन्तु अभिलेख/रिपोर्ट को अद्यतन करने की आवश्यकता है। विद्यालय में प्रिंसपल एवं 01 हैल्थ टीचर के अतिरिक्त अन्य किसी को कार्यक्रम की एवं आपातकालीन स्थिती में अग्रेतर कार्यवाही की जानकारी नही थी।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –इन्दिरा नगर, महराजगंज

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
3. सभी स्टाफ के द्वारा कार्य को उचित रुप से सम्पादित किया जा रहा है।
4. इकाई पर प्रतिदिन लगभग 30 मरीजों को प्रतिदिन देखा जा रहा है।
5. लैब टेस्ट की जाने वाली सभी टेस्टों को प्रदर्शित नही किया गया था।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उप केन्द्र – बहुवार

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी की व्यवस्था नही है।

2. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर विद्युत बैकअप नही था।
3. सी.एच.ओ. को उपलब्ध कराये गये लैपटाप को घर पर रखा गया था।
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर केवल ओ.पी.डी. रजिस्टर बनाया गया था।
5. लैब जॉच रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, रेफरल आउट रजिस्टर आदि नही बनाया गया है।
6. सी.एच.ओ. के किये जा रहे कार्य संतोषजनक नही था।
7. हीमोग्लोबिनों मीटर उपलब्ध नही कराया गया था।
8. इकाई पर एग्जामिनेशन टेबल उपलब्ध नही कराया गया है।
9. ए.एन.सी. जॉच हेतु प्राइवेसी की कोई व्यवस्था नही की गयी है।

<u>एम्बुलेंस सर्विस –</u>

1. सेवा प्रदाता द्वारा समुचित मानव संसाधन प्रतिवाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण एम्बुलेंस में केवल 2 वाहन चालक के द्वारा सेवायें प्रदान की जा रही है।
2. वाहन की ए0सी0, हुटर इत्यादि कार्य नही कर रहे थे।
3. मानकानुसार औषधियों की उपलब्धता वाहन में नही थी।
4. वाहन में अतिरिक्त चक्का उपलब्ध नही था।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ वार्ता कर अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कमियों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।

जनपद महाराजगंज की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त वित्तीय आख्या
दिनांक 29.01.2024 से 02.02.2024 तक

अवगत कराना है कि 01.04.2012 को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव अनिवार्य कर दिया गया है। आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद महाराजगंज के जिला स्वास्थ्य समिति, जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सदर, सिसवा, घुघली ,धानी एवं बहादुरी) के लेखा–अभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अनुसार लेखा पुस्तकों, लेखांकन, लेखा अभिलेखों का रख–रखाव इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा गाइड लाइन्स के अनुसार ही लेखा पुस्तकों को तैयार किये जाने क निर्देश दिये गये हैं। मिशन निदेशक के आदेश संख्या 320–2 दिनांक 13.04.2023 के निर्देश के क्रम में दिनांक 29.01.2024 से दिनांक 02.02. 2024 तक जनपद महाराजगंजका सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया जिसमें जनपद द्वास उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसकी वित्तीय आख्या निम्नवत है।

जिला स्वास्थ्य समिति (महाराजगंज) का लेखा अभिलेखों का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:–

1. जिला स्वास्थ्य समिति महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 1084589611.00 धनराशि का स्वीकृत डैप है जिसके सापेक्ष अब तक रू0 528019001.00 धनराशि व्यय की गयी। जिसमें रू0 164117417.00 धनराशि अधीनस्थ इकाईयों द्वारा शेष धनराशि रू0 363901584.00 जिला मुख्यालय स्तर पर व्यय की गयी है।
2. जनपद महाराजगंज में फैम्स पोर्टल पर एफ0एम0आर0 के अनुसार 30 मदों में फैम्स स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है।
3. जनपद महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 366374472.94 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 102060844.00. व्यय कर लिया गया है जो 27.85 प्रतिशत है। जनपद महाराजगंज द्वारा 16 मदों में कमिटेड करायी गयी स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है।जनपद महाराजगंज द्वारा कमिटेड करायी गयी 05 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. जनपद मुख्यालय द्वारा पी0एफ0एम0एस0 निर्गत पंजिका पर माह जून 2023 से मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराया गया है।
5. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
6. जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अधीनस्थ इकाईयों को अवमुक्त की गयी लिमिट की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

R. B. Chhaurasia
Manager Finance
N.H.M. U.P.

7. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है किन्तु माह अगस्त 2023 के पश्चात रिटर्न फाईलिंग के अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गये।
8. जनपद द्वारा माह जनवरी 2023 तक का मानदेय भुगतान किया गया है, वेतन रजिस्टर नहीं बनाया गया है। पत्रावली पर प्रत्येक माह का विवरण रक्षित किया गया है। विवरणों पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्यचिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे।
9. मासिक बैक समाधान विवरण की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
10. बैंक स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2023–24 की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
11. राज्य स्तर से निर्गत किये गये दिशानिर्देशों की संकलित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
12. टेंडर की स्थिति के विषय में अवगत कराया गया कि कुल 14 टेंडर पूर्ण है, 07 प्रक्रियाधीन है, 02 टेंडरो का नवीनीकरण किया गया है

2.जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 97242963 धनराशि का स्वीकृत बजट है जिसके सापेक्ष रू0 53519299 धनराशि अब तक व्यय (55.03 प्रतिशत) की गयी।
2. जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 12 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। तथा 38 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
3. जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंजद्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 8906850.00 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 2296871.00 करोड़ व्यय (25.78 प्रतिशत) कर लिया गया है जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज द्वारा द्वारा 02 मदों में कमिटेड करायी गयी स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज द्वारा कमिटेड करायी गयी 09 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
6. मैनपावर एजेन्सी अकृति कन्सट्रक्शन के माध्यम से रू0 1941344.00 धनराशि का भुगतान किया गया। जिसका अनुबन्ध पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 119 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।
8. रोगी कल्याण समिति की ऑडिट रिपोर्ट भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
9. जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 तो काटा गया है, जिसका रिटर्न फाईलिंग के अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें गये।

R.P. Chhabra
Manager Finance
N.H.M. U.P.

10. डाईट के अन्तर्गत 737550.00 धनराशि का भुगतान किया गया है जिसकी भुगतान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। किन्तु जनपद द्वारा स्वयं सहायता समूह को भुगतान किये जाने के निर्देश पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
11. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
12. मासिक बैक समाधान विवरण की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
13. बैंक स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2023–24 की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
14. राज्य स्तर/जनपद स्तर से निर्गत किये गये दिशानिर्देशों की संकलित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
15. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।

3.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर, महाराजगंज

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर, महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 22744439.00 धनराशि का स्वीकृत बजट है जिसके सापेक्ष रू0 7445008.00 धनराशि अब तक व्यय (32.73 प्रतिशत) की गयी।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर, महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 03 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। तथा 35 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर, महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 2092000.00 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 1143180.00 करोड़ व्यय (54.64 प्रतिशत) कर लिया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर द्वारा कमिटेड करायी गयी 02 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
6. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काटा गया है जिसे जमा नहीं किया गया है।
8. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
9. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माह वार, वर्ष वर संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।

R. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M., U.P.

11. बैंक स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2023–24 की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
12. राज्य स्तर/जनपद स्तर से निर्गत किये गये दिशानिर्देशों की संकलित पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
13. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 169 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।
14. रोगी कल्याण समिति की ऑडिट रिपोर्ट भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा,महाराजगंज

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा, महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 23233056 धनराशि का स्वीकृत बजट है जिसके सापेक्ष रू0 12792746 धनराशि अब तक व्यय (55.06 प्रतिशत) की गयी।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा, महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 31 मादों में शून्य व्यय किया गया है।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा, महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 3223319.00 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 3322925 व्यय (99.98 प्रतिशत) कर लिया गया है। जनपद महाराजगंज द्वारा 03 मदों में कमिटेड करायी गयी स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है।जनपद महाराजगंज द्वारा कमिटेड करायी गयी 04 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
6. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काटा गया है किन्तु रिटर्न फाईल नहीं की गयी है।
8. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
9. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माह वार, वर्ष वर संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।
11. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 84 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।
12. रोगी कल्याण समिति की ऑडिट रिपोर्ट भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
13. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 15 महिला लाभार्थियों को दोहरा भुगतान किया गया भुगतान किया गया है।

R. ... Chhetri
Manager Finance
N.H.M., U.P.

5.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघली, महाराजगंज

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघली, महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 20698278.00 धनराशि का स्वीकृत बजट है जिसके सापेक्ष रू0 11883291.00 धनराशि अब तक व्यय (57.41 प्रतिशत) की गयी।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघली, महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 04 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से रू0 4315068.00 धनराशि से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है तथा 20 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघली महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 679219.00 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 2431755.00 व्यय कर लिया गया है। जनपद महाराजगंज द्वारा 01 मदों में कमिटेड करायी गयी स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है।जनपद महाराजगंज द्वारा कमिटेड करायी गयी 05 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग / बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काटा गया है किन्तु रिटर्न फाईल नहीं की गयी है।
7. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
8. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
9. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माहवार, वर्षवार संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।
11. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 05 महिला लाभार्थियों को दोहरा भुगतान किया गया जिसके संदर्भ में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में भुगतान ना होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 में भुगतान किया गया है।
12. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 117 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।
13. रोगी कल्याण समिति की ऑडिट रिपोर्ट भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

6.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरी, महाराजगंज

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरी, महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 20135977 धनराशि का स्वीकृत बजट है जिसके सापेक्ष रू0 7804070 धनराशि अब तक व्यय (38.75 प्रतिशत) की गयी।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरी, महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 03 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। तथा 56 मदों में शून्य व्यय किया गया है। विवरण फैम्स पोटल पर उपलब्ध है।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरी,महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 2263429.00 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 1845989.00 व्यय (81.55 प्रतिशत) कर लिया गया है। जनपद महाराजगंज द्वारा 01 मदों में कमिटेड करायी गयी स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है।जनपद महाराजगंज द्वारा कमिटेड करायी गयी 04 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काटा गया है किन्तु रिटर्न फाईल नहीं की गयी है।
7. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
8. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
9. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माहवार, वर्षवार संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।
11. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 02 महिला लाभार्थियों को दोहरा भुगतान किया गया जिसके संदर्भ में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में भुगतान न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 में भुगतान किया गया है।
12. रोगी कल्याण समिति की ऑडिट रिपोर्ट भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
13. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 193 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।

R. S. Chhatri
Manager Finance
N.H.M. U.P.

7.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धानी महाराजगंज,

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धानी महाराजगंज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 13429566 धनराशि का स्वीकृत बजट है जिसके सापेक्ष रू0 6026726 धनराशि अब तक व्यय (44.87 प्रतिशत) की गयी।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धानी, महाराजगंज द्वारा 06 मदों में शून्य व्यय किया गया है। विवरण फैम्स पोटल पर उपलब्ध है।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धानी,महाराजगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रु0 761544.00 कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गई है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 375183.00 करोड़ व्यय (49.26 प्रतिशत) कर लिया गया है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धानी, द्वारा कमिटेड करायी गयी 03 मदों में शून्य व्यय किया गया है।
4. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काटा गया है किन्तु रिटर्न फाईल नहीं की गयी है।
7. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
8. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
9. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माहवार, वर्षवार संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।

11- जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक 44 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है।

12. रोगी कल्याण समिति की ऑडिट रिपोर्ट भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

7

10/01/24

R. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M. U.P.

R.B Chhetri
Manager Finance
SPMU-NHM